

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 734 / 2022

दिनांक : 24.02.2022

श्री अनिल बेनीवाल (RJ0179), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, चूरू को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 17.01.2022 का एक दिवस का उपार्जित अवकाश दिनांक 16.01.2022 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित ।
2. दिनांक 18.01.2022 से 23.01.2022 तक 06 दिनों का परावर्तित अवकाश ।

श्री बेनीवाल की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरू/ विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, चूरू ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, चूरू के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 24.02.2022

कमांक:-स्था.बी.2(4)/21/2013/1511

दिनांक : 24.02.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, चूरू को उनके पत्रांक 18 दिनांक 18.02.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्री अनिल बेनीवाल (RJ0179), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, चूरू ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरू ।
5. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, चूरू ।

सहायक रजिस्ट्रार